-1-

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—काना राम आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 15/2021 अर्न्तगत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

राजस्थान राज्य जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना रावतसर जिला हनुमानगढ़।
—–प्रार्थी

बनाम
अज्ञात व्यक्ति।
—–अप्रार्थी

उपस्थितः— 1. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता।
2. अप्रार्थी गैरहाजिर।

—:निर्णयः— दिनांकः—27.11.24

राजस्थान राज्य जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना रावतसर द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनाक 21.9.16 के वक्त 11.40 एएम पर श्री बेगराज एचसी 112 मय हमराही एफसी के रवानाशुदा करबा रावतसर से हाजिर आया व एक फर्द श्री जयसिंह दहिया आपीएस सीओ वृत रावतसर द्वारा मुर्तिबा बदी गजमुन फर्द बरामदगी अवैध डीजल मय पिक अप नम्बर आर जे 13 जीबी 2124 अजाने मुल्जिम अज्ञात। दिनांक 21.9.2016 आज दिनांक 21.9.2016 को मन जयसिहं दहिया आरपीएस वृताधिकारी रावतसर वक्त 7. ए.एम. पर को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने जरिये दूरभाष निर्देश फरमाये कि खोडां गांव के पास सड़क पर क्यूआरडी टीम खड़ी है जिन्होंने एक पिक अप को रुकवा रखी है जिसमे अवैध डीजल होने की सूचना है आप कार्यवाही हेतु मौका पर पहुंचो। इस पर मन बताधिकारी ने थानाधिकारी रावतसर से जाप्ता कार्यालय में तलब किया। वक्त 7:10 एएम पर थाना रावतसर से श्री बेगराज हैड कानि. 112 मय श्री जयवीर सिंह कानि. 664 श्री अविनाश कानि. 1234 उपस्थित आये जिन्हे उमराह लेकर मय बोलेरो गाडी सरकारी ड्राईवर राजेन्द्र के पुत्ताधिकारी कार्यालय से श्री प्रहलाद हैड कानि. 146 को हमरा लेकर रवाना खोडां को हुआ। अनुसंधान बॉक्स, निजी लेपटोप, प्रिंटर, बैटरी हमराह लिये। वक्त 7.40 ए.एम. पर रावतसर से खोडां रोड़ रोही खोडां में जहां मुताबिक सूचना के क्युआरटी टीम के सदस्य उपस्थित मिले। जिन्होंने एक पिक अप रोक रखी है। पिक अप महेन्द्र रंग सफेद पर नम्बर आर जे 13 जीबी 2124 लिखे है पिक अप चालक मौका से भाग जाना बताया। पिक अप के अन्दर ड्रम व कैनी भरी है। गाड़ी की तलाशी ली जानी है तलाशी बाबत आने जाने वाले व्यक्तियों को स्वतंत्र मौतबीर हेतु तलबी की लेकिन सभी ने समय अभाव का कारण बताते हुये कोई व्यक्ति स्वतंत्र मौतबीर हेतु उपलब्ध नही हुआ। इस पर मौका पर उपस्थित मुलाजमान के समक्ष के उक्त पिक अप की तलाशी ली तो पिक अप में कुल सात ड्रम व दो कैनी (बड़े जरीकन) भरे है। सभी ड्रमों व कैनियों को मन सीओ ने चैक किया व साथी मुलाजमान को चैक करवाया तो सभी ड्रमों में प्रत्येक में करीब 200—200 लीटर डीजल भरा होना पाया तथा दोनों कैनियों में करीब 60—60 लीटर डीजल भरा होना पाया। इस प्रकार कुल 1520 लीटर डीजल है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा इतनी मात्रा में डीजल अपने कब्जा में रखना व परिवहन करना जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में दण्डनीय अपराध है। चूंकि राज्य सरकार के आदेशानुसार किसी व्यक्ति के कब्जा में एक हजार लीटर से उपर डीजल अपने रखना आवश्यक वस्तु अधिनीयम में दण्डनीय अपराध है। उक्त अज्ञात व्यक्ति का उक्त कृत जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में दण्डनीय अपराध होने पर उक्त डीजल के ड्रमों को मय पिक अप के बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस में ली गई। उक्त प्रत्येक ड्रम से एक एक बोतल डीजल कांच की 750 एमएल क्षमता की बोतल में बतौर सैम्पल अलग अलग निकाल कर शिल्ड मोहर कर मार्क कमशः ए1 से ए7 अंकित किया तथा दोनों कैनियो से एक एक बोतल डीजल बतौर सैम्पल निकाल शिल्ड मोहर कर मार्क कमशः ए 8 से ए 9 अंकित किया। इसी प्रकार उक्त डीजल के ड्रमों व कैनियों में से एक एक बोतल डीजल बतौर कन्ट्रोल सैम्पल अलग अलग निकाल कर शील्ड मोहर कर मार्क कमशः बी 1 से बी 7 व बी 8 तथा बी 9 अंकित किया। शेष डीजल को उन्ही ड्रमो में रहने दिया जाकर शील्ड मोहर मार्क कमशः सी 1 से सी 7 अंकित किया तथा कैनियों

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

ग शील्ड मोहर कर मार्क कमशः सी से सी 9 अंकित किया। गाड़ी में डीजल परिवहन करने के सम्बंध में कोई कागजात नहीं पाये गये। नमूना शिल फर्द के हासिया पर अंकित की। फर्द हाजा मूर्तिव कर हाजरीन को पढ़कर सुनाई सुन समझ राही मान अपने अपने हस्ताक्षर करते है। मूल फर्द मय वजह सबूत श्री बेगराज हैड कानि. 112 मय थाना स्टाफ के वास्ते कायगी एफआई आर थाना रावतसर रवाना किया गया। एसडी बेगराज हैड कानि०, एराडी जयवीर कानि०, एसडी अविनाश कानि०, एसडी प्रहलाद हैड कानि०, एसडी जयसिह दहिया आरपीएस वृताधिकारी रावतसार केम्प रोही खोंडा वक्त 11रू00 एएम हमरा लाकर पेश की जिस पर मु०न० 552/16 धारा 3/7 ईसी एक्ट में दर्ज कर तफतीश मन् विजयसिह पुनि० थानाधिकारी रावतसार द्वारा शुरू की गई। मुकदमा में जप्त शुदा तेल के ड्रम जो ज्वलनशील पदार्थ है तथा थाना परिसर में पड़ा है जिसमे रिसाव भी हो सकता है। अतः रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम में पेश कर निवेदन किया कि जप्तशुदा डीजल का नियमानुसार निस्तारण करने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जब्तशुदा डीजल को ज्वलनशील पदार्थ होने से जानमाल की हानि की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 04.01.2017 को दिये जा चुके है। अप्रार्थी के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी की अनुपस्थिति दर्ज की गयी।

बहस सुनी गयी। राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि वृताधिकारी, वृत रावतसर द्वारा जब्तशुदा वाहन पिकअप नं. RJ13-GB-2124 में कुल 1560 लीटर डीजल परिवहन करते हुए जब्त किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त डीजल की जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज थानाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसेंस व परमिट के पीकअप अवैध डीजल तेल रखना, परिवहन करना राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा डीजल मय वाहन राजसात किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अप्रार्थी की पिकअप की तलाशी/जांच के समय पिक अप में कुल सात ड्रम व दो कैनी (बडे जरीकन) भरे है। सभी ड्रमों व कैनियों को सीओ ने चैक किया व साथी मुलाजमान को चैक करवाया तो सभी ड्रमों में प्रत्येक में करीब 200–200 लीटर डीजल भरा होना पाया तथा दोनों कैनियों में करीब 60–60 लीटर डीजल भरा होना पाया। इस प्रकार कुल 1520 लीटर डीजल है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा इतनी मात्रा में डीजल अपने कब्जा में रखना व परिवहन करना जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में दण्डनीय अपराध है। चूंकि राज्य सरकार के आदेशानुसार किसी व्यक्ति के कब्जा में एक हजार लीटर से उपर डीजल अपने रखना आवश्यक वस्तु अधिनियम में दण्डनीय अपराध है। वाहन जब्ती के समय वाहन मालिक व डीजल मालिक द्वारा मौके पर उपस्थित नहीं होना तथ्य सिद्ध करता है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त डीजल के विक्रय, कारोबार का निरन्तर कार्य किया गया है। इसके अलावा अप्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी को वरवक्त निरीक्षण जब्ती कोई बिल लाईसेंस, परमिट इत्यादि मौके पर उपलब्ध नहीं करवाये गये थे तथा ना ही कभी संपर्क करने की कोशिश की। पत्रावली के सम्पूर्ण अवलोकन से अप्रार्थी का उक्त कृत्य 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी (स्टेट) का स्वीकार किया जाता है। जब्तशुदा 1520 लीटर डीजल मय ड्रमों को न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, नोहर द्वारा जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 04.01.2017 को दिये जा चुके हैं, को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.11.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

(काना राम, आरएएस)
जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़